न्यायालय आयुक्त रायपुर संभाग, रायपुर छ0ग0
(पीठासीन अधिकारी महादेव कावरे (IAS))

अ.प्र.क. 202109970200016/
254/अ–6वर्ष 2020–21
ग्राम ओंकारबंद, तहसील बागबाहरा,
जिला महासमुंद (छ0ग0)

1. बुढ़ान सिंग पिता स्व. गणेश
2. गौरसिंग पिता स्व. गणेश
3. गौरीबाई पिता स्व. गणेश

निवासी गाम ओंकारबंद प.ह.न. 02
रा.नि.मं. खल्लारी तहसील बागबाहरा
जिला महासमुन्द (छ.ग.)

.....अपीलार्थीगण

विरूद्ध

1. कमला बाई बेवा दीनदयाल
2. ऋषि पिता दीनदयाल(मृत)
   वरिसानः–
   (क) यशोदा नेताम पति स्व. ऋषि
   (ख) मिनाक्षी नेताम पिता स्व. ऋषि
   (ग) मनु नेताम पिता स्व. ऋषि
   (घ) आशा नेताम पिता स्व. ऋषि
   (ड.) चन्द्रशेखर नेताम पिता स्व. ऋषि
   (च) रविशंकर नेताम पिता स्व. ऋषि
   सभी निवासी ग्राम आजाद चौक थान के पिछे
   इदगाहभाठा मैदान मंगल बाजार रायपुर जिला रायपुर
3. इन्दु पिता दीनदयाल
4. गुरूदयाल पिता दीनदयाल
5. बिन्दु पिता दीनदयाल
6. विजयलक्ष्मी पिता दीनदयाल
7. दुर्गेशनन्दीनी पिता दीनदयाल
8. हेमंत कुमार पिता दीनदयाल

सभी निवासी गाम ओंकारबंद
प.ह.न. 02 रा.नि.म. खल्लारी
तहसील बागबाहरा जिला महासमुन्द(छ.ग.)

..... उत्तरवादीगण

अपीलार्थी अभिभाषक – श्री धर्मेन्द्र ठाकुर
उत्तरवादी अभिभाषक – देवनारायण सिन्हा

आदेश
(पारित दिनांक 27.01.2026)

अपीलार्थी श्री बुढ़ान सिंग पिता स्व. गणेश एवं अन्य निवासी ग्राम ओंकारबंद तहसील बागबाहरा जिला महासमुन्द द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (रा) महासमुन्द के रा.मा. प्रकरण क्रमांक 09/अ–6/ 2017–18 आदेश दिनांक 30.07.2021 से क्षुब्ध व परिवेदित होकर भू राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 44(2) के तहत उत्तरवादी कमला बाई बेवा दीनदयाल निवासी ग्राम आजाद चौक थान के पिछे इदगाहभाठा मैदान मंगल बाजार रायपुर जिला रायपुर एवं इन्दु पिता दीनदयाल,गुरूदयाल पिता दीनदयाल,बिन्दु पिता दीनदयाल,विजयलक्ष्मी पिता दीनदयाल, दुर्गेशनन्दीनी पिता दीनदयाल, हेमंत कुमार पिता दीनदयाल सभी निवासी गाम ओंकारबंद तहसील बागबाहरा जिला महासमुन्द के विरूद्ध यह अपील याचिका पेश किया है।

2/ **प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि** अपीलार्थी बुढ़ान सिंग पिता स्व. गणेश के परदादा रामचरण पिता भंगी के नाम ग्राम ओंकारबंद प.ह.न. 02 रा.नि.मं. खल्लारी तह बागबाहरा जिला महासमुन्द के नाम पुराना ख.न. 32, 81, 163, 170, 263 रकबा क्रमशः 2.61 ,0.20, 1.66, 0.40, 2.50 कुंल खसरा 5 कुल रकबा 7.37 हे. नया ख.न. 124, 243, 500, 510, 638 रकबा 1.12, 0.08, 0.09, 055, 0,32 कुल ख.न. 5 कुल रकबा 2.16 हे. दर्ज था रामचरण की मृत्यु पश्चात् दिनांक 19.07.1960 उनकी पत्नी रम्भाबाई के नाम नामांतण हुआ, रम्भाबाई बेवा रामचरण का दिनांक 22.07.1977 को निःसंतान फौत बताकर नामांतरण क्र. 67 आदेश दिनांक 21.04.1978 द्वारा रामचरण के छोटे भाई जयराम सिंग के नाम नामांतरण किया गया जबकि रम्भाबाई का पुत्र उदेराम जीवित था उदेराम का पुत्र गणेश और गणेश के पुत्र वर्तमान अपीलार्थी होना लेखकर अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बागबाहरा को प्रथम अपील पेश किया जिसमें आदेश दिनांक 30.07.2021 द्वारा 42 वर्ष पूर्व के नामांतरण को पुनः विचार में लेने का ठोस आधार मौजूद नही होने, 42 वर्ष पुराने मामले के स्वत्व का प्रश्न निराकरण का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नही होने से अपील अस्वीकार किया गया। इसी के विरूद्व यह द्वितीय अपील है।

3/ अपीलार्थी ने अपील के आधार में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नामांतरण पंजी का अवलोकन किये बिना अस्पष्ट विधि विरूद्व आदेश करना, छलकपट के माध्यम से हुए नामांतरण को पीडित द्वारा किसी भी चरण में चुनौती दिया जा सकना, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 5 म्याद अधिनियम का आवेदन स्वीकार करने के बाद स्वत्व का मामला बनाकर प्रकरण अस्वीकार करना, प्रश्नाधीन नामांतरण अवैध एवं शून्य प्रवृत्ति का होना, बिना जांच, बिना ईश्तहार तत्कालीन पटवारी द्वारा दीनदयाल वगैरह से मिलकर, तथ्यो को छिपाकर नामांतरण कराना, संसोधन पंजी 1963–64

अनुसार स्पष्टीकरण में दीनदयाल सिंग के बताए अनुसार रम्भाबाई के कोई लकड़े बच्चे नहीं आगे लिखना कि रम्भाबाई का भतीजा दीनदयाल के बताने से यह हल्का पटवारी से सांठ–गांठ दार्शाना लेखकर अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी बागबाहरा का आदेश दिनांक 30.07.2021 निरस्त करने का निवेदन किया है।

4/ अपील प्रस्तुत किए जाने पर अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख मंगाए गए एवं उत्तरवादी को नोटिस जारी कर आहूत किया गया। द्वितीय अपील के दौरान उत्तरवादीगण स्वतः उपस्थित हुए तथा उन्होंने बताया कि उत्तरवादीगण में ऋषि कुमार की मृत्यु हो गई है तथा उत्तरवादीगण मे हेमंत कुमार का नाम पक्षकार के रूप में छूट गया है, न्यायालय के आदेश पर अपीलार्थीगण के द्वारा अपील में संशोधन किया गया तथा संशोधन उपरांत सभी उत्तरवादीगणो के उपस्थिति के पश्चात न्यायालय के द्वारा अंतिम लिखित तर्क प्रस्तुत करने का मौका दिया गया।

5/ अपीलार्थी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में अपीलार्थी के परदादा रामचरण पिता भंगी जाति गोंड के नाम पर अधिकार अभिलेख पंजी सन् 1955–56 के अनुसार पुराना खसरा नंबर 31, 81, 163, 170, 263 रकबा क्रमशः 2.61, 0.20, 1.66, 0.40, 2.50 कुल खसरा 05 कुल रकबा क्रमशः1.12, 0.08, 0.09, 0.55, 0. 32 हे. कुल खसरा 05 कुल रकबा 2.16 हे. दर्ज होकर स्थित है। अपीलार्थीगण के परदादा रामचरण पिता भंगी की मृत्यु दिनांक 19.07.1960 को अधिकार अभिलेख पंजी सन् 1955–56 के अनुसार हो चुकी थी। उसी वर्ष नामांतण पंजी वर्ष 1964 में नामांतरण क्रमांक 55 दिनांक 10.01.1964 के अनुसार रम्भाबाई बेवा रामचरण को भूमिस्वामी के रूप में दर्ज किया गया। यही से उत्तरवादीगण के पिता रामदयाल का षडयंत्र शुरू हुआ रामदयाल पिता जयराम सिंग ने पटवारी से सांठगगांठ कर यह जानते हुए कि रामचरण का पुत्र उदेराम जीवित है, मात्र रम्भाबाई को निःसंतान बताकर रम्भाबाई के नाम से भूमि को दर्ज करवाया । इसका उदाहरण वही पंजी के स्पष्टीकरण कॉलम 11 में हल्का पटवारी ने लिखा है कि दिनदयाल सिंग के बताने से रम्भाबाई के कोई लडके बच्चे नही है रम्भाबाई का भतीजा दिनादयाल के बताने से उसके नीचे हल्का पटवारी के हस्ताक्षर तथा दिनांक10.01.64 दिख रहा है।उसके बाद नामांतरण पंजी वर्ष 1977–78 के अनुसार दिनांक 22.12.1977 को रम्भाबाई पति रामचरण की मृत्यु हो गई तथा नामांतरण पंजी क्रमांक 67 के अनुसार हल्का पटवारी ने वंशवृक्ष में रम्भाबाई का कोई पुत्र पुत्री नही लिखा तथा रम्भाई पति रामचरण के नीचे भाई लिखकर जयराम सिंग पिता भंगी लिख दिया गया। जो कि गलत था क्योंकि रम्भाबाई के फौत के बाद उसके पुत्र उदेराम का नाम दर्ज किया जाना चाहिए था लेकिन उत्तवादी के पूर्वज दयाराम और उनके पिता जयराम सिंग दोनो ने षडयंत्र पूर्वक रम्भाबाई को निःसंतान बता दिया था तथा अपना नाम जुड़वा लिया था। इसका उदाहरण उसी नामांतरण पंजी क्रमांक 67 के अंतिम कॉलम में लिखा गया। रम्भाबाई दिनांक 22.12.77 को बिना वारिस के फौत रम्भाबाई के मर्द के छोटे भाई के पुत्र जयराम सिंग काबिज कोई आक्षेप पेश नही है, अतः मृतक के स्थान पर जयराम सिंग का नाम दर्ज करें। प्रमाणित । इस प्रकार उत्तरवादीगण के पिता द्वारा रम्भाबाई के सम्पूर्ण भूमि को अपने नाम पर चढ़ा लिया गया। लेकिन उपरोक्त भूमि पर सतत

कब्जा अपीलार्थीगण का ही रहा है। अपीलार्थीगण द्वारा अपने पूर्वजों के समय हुए छलकपट से संबंधित दस्तावेज एकत्रित कर प्रथम अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बागबाहरा जिलामहासमुन्द के समक्ष प्रस्तुत किया। अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बागबाहरा के द्वारा अपील प्रकरण को दर्ज किया गया जिसका प्रकरण क्रमांक 09अ/6वर्ष2017–18 रहा है, सर्वप्रथम उत्तरवादीगण को नोटिस जारी कर आहुत होने का आदेश प्रदान किया गया। नोटिस के द्वारा उत्तरवादीगण के उपस्थिति नही होने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पेपर को प्रकाशन के माध्यम से आहुत होने सूचना दिया गया। नियत पेशी दिनांक को पेपर प्रकाशन के बाद भी उपस्थित न होने पर उत्तरवादीगण को एकपक्षीय करते हुए प्रस्तुत अपील पर एकतारफा सुनवायी प्रारंभ की गई तथा अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत धारा 32 अपील अनुमति तथा धारा 5 म्दाय अधिनियम का आवेदन पर सर्वप्रथम सुनवायी कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उसे स्वीकार किया गया। अपीलार्थीगण अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष नियत पेशी पर अपना अंतिम तर्क प्रस्तुत किया दिनांक 30.07.21 को अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने आदेश में यह कहते हुए कि नामांतरण पंजी को 42 वर्ष के बीत जाने के उपरांत भूस्वामी के अधिकार पर यदि प्रश्न उठाया जाता है तो यह सीधे तौर पर स्वत्व के प्रश्न संबधित होना प्रतीत होता है स्वत्व का निराकरण राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। अतः अपीलार्थी का अपील अस्वीकार किये जाने का आदेश पारित किया गया। उपरोक्त आदेश से पीडित क्षब्ध होकर अपीलार्थीगण ने इस न्यायालय के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किया है। द्वितीय अपील के दौरान उत्तरवादीगण स्वतः उपस्थित हुए तथा उन्होंने बताया कि उत्तरवादीगण में ऋषि कुमार की मृत्यु हो गई है तथा उत्तरवादीगण मे हेमंत कुमार का नाम पक्षकार के रूप में छूट गया है, न्यायालय के आदेश पर अपीलार्थीगण के द्वारा अपील में संशोधन किया गया तथा संशोधन उपरांत सभी उत्तरवादीगणो के उपस्थिति के पश्चात न्यायालय के द्वारा अंतिम लिखित तर्क प्रस्तुत करने का मौका दिया गया।

अपीलार्थीगण अपना अंतिम लिखित तर्क निम्न आधारों पर प्रस्तुत किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश मनमाना विधि विरूद्ध प्रकरण में संलग्न नामांतरण पंजी तथा अधिकार अभिलेख का अवलोकन किये बगैर मात्र खानापूर्ति के तहत पारित आदेश अस्पष्ट होने से खारिज किये जाने योग्य है।अधिनस्थ न्यायालय ने अपने अंतिम आदेश में मात्र यह कहते हुए कि प्रथम. अधिनस्थ न्यायालय के आदेश के दूसरे पृष्ठ के तीसरे पैरा के छठवी लाईन में यह कहा गया है कि अपीलार्थीगण के द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है, जो अपीलार्थी को मृतका रम्भाबाई का वंशज अथवा विधिक वारिसान दर्शाता हो। दूसरा. उसी पैरा के अंतिम लाईन में यह कहा गया है कि नामांतरण के 42 वर्ष की अवधि व्यतीत होने के उपरांत अपील प्रस्तुत कीगई है। इस कारण स्वत्व का मामला बनता है और इसे सुने जाने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। इस प्रकार अपना उपरोक्त कथन करते हुए अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने आदेश के अनुसार अपीलार्थीगण का अपील खारिज किया गया था। इस संबंध में अधिनस्थ न्यायालय को यह गौर करना चाहिए था कि उसके समक्ष प्रस्तुत अपील में उसका उददेश्य प्रथमतः अपीलार्थी को न्याय प्रदान करने का होना चाहिए था । लेकिन अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा न्याय प्रदान न कर सीधे अपील को खारिज किया जाना मात्र अपने समक्ष प्रस्तुत अपील का निपटारा किया गया है।जबकि छ.ग.भू. राजस्व संहिता 1959 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि छल–कपट

के माध्यम से किये गये नामांतरण को पीड़ित व्यक्ति किसी भी समय चुनौती दे सकता है, इसके लिये समय सीमा का कोई बंधन नहीं है । इस संबंध में अपीलार्थीगण न्यायालय का ध्यान अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत धारा 5 पर प्रस्तुत करना चाहते है, अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के आवेदन को स्वीकार किया गया था यदि 42 वर्ष के बाद धारा 5 का आवेदन अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा स्वीकार किया गया है,तो अधिनस्थ न्यायालय का अपने अंतिम आदेश में यह कहना कि 42 वर्ष व्यतीत हो गये है, मात्र अपने आदेश के माध्यम से अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को टरकाना रहा है। इसके अलावा अधिनस्थ न्यायालय ने दूसरा तथ्य यह रहा है कि अपीलार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जो मृतका रम्भाबाई के साथ उसका संबंध दर्शाता हो। इस संबंध में अपीलार्थीगण यह कथन करते है कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त समय अपीलार्थीगण से ऐसा कोई दस्तावेज की मांग नहीं की गई थी, यदि उस समय अपीलार्थीगण से उक्त संबंध में दस्तावेज की मांग की गई होती तो उस समय भी अपीलार्थीगण सहजता पूर्वक उक्त दस्तावेज को उपलब्ध करा सकते थे जैसे आज न्यायालय के समक्ष अपना वंशावली प्रस्तुत कर रहे है, इस प्रकार सारे तथ्यों को देखकर यह कहा जा सकता है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने समक्ष प्रस्तुत सम्पूर्ण दस्तावेज का अवलोकन किये बगैर मनमाना एकतरफा आदेश पारित किया है जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेज का गहन अध्ययन नहीं किया है। यदि अध्ययन किया गया होता तो शायद अपीलार्थीगण को उनका हक प्राप्त हो चुका होता। यह भी तर्क है कि उत्तरवादीगण के पिता तथा दादा के द्वारा प्रारंभ से ही ऐसी चाल चली गई जिसके कारण रम्भाबाई के संतान होने के बावजूद भी उसे निःसंतान बता दिया गया। जबकि उस समय उसका पुत्र उदेराम जीवित था। सर्वप्रथम अधिकार अभिलेख पंजी 1955–56 के अनुसार रम्भाबाई का पति रामचरण पिता भगी जाति गोंड़ का दिनांक 19.07.1960 को मृत्यु होना बताया गया। नामातरण पंजी 1964 के नामांतरण कमाक 55 दिनांक 10.01.1964 के अनुसार रम्भाबाई बेवा रामचरण को भूमिस्वामी के रूप में दर्ज किया गया। इसी नामांतरण पजी के समय से उत्तरवादीगण के पति तथा ससुर रामदयाल पिता जयराम सिंग के द्वारा षडयंत्र किये जाने का प्रमाण मिलता है, इसका उदाहरण सर्वप्रथम उसी नामांतरण पंजी के अंतिम कॉलम नंबर 11 में हल्का पटवारी ने लिखा है कि दिनदयाल सिंग के बताने से रम्भाबाई के कोई लड़के बच्चे नहीं है। रम्भाबाई का भतीजा दिनदयाल के बताने से उसके नीचे हल्का पटवारी के हस्ताक्षर तथा दिनांक 10.01.64 दिख रहा है। ठीक उसी प्रकार नामांतरण पंजी वर्ष 1977–78 के नामांतरण कमांक 67 के अनुसार दिनांक 22.12.1977 को रम्भाबाई पति रामचरण की मृत्यु बताई गई है तथा हल्का पटवारी द्वारा रम्भाबाई का वंशवृक्ष बनाकर रम्भाबाई के नीचे पुत्र–पुत्री नहीं लिखा गया है तथा रम्भाबाई पति रामचरण के नीचे भाई लिखकर जयराम सिंग पिता भंगी लिख दिया गया और इस प्रकार तत्कालीन पीठासीन अधिकारी राजस्व निरीक्षक तथा हल्का पटवारी के द्वारा जानते हुए कि रम्भाबाई बेवा रामचरण का एक पुत्र उदेराम है, उसे निःसंतान बताकर रम्भाबाई की सारी सम्पत्ति उत्तरवादी के द्वारा जयराम सिंग के नाम पर चढ़ा दिया गया । लेकिन उसके बाद भी उक्त प्रश्नाधीन भूमि पर सतत कब्जा अपीलार्थीगण का बना रहा । चूंकि रम्भाबाई सीधी साधी महिला था। उसके सीधेपन का फायदा उठाकरपूर्व में उसके पति रामचरण की फौती दर्ज कराते समय दीनदयाल पिता जयराम सिग ने सोची समझी योजना के तहत

एकमात्र रम्भाबाई बेवा रामचरण का नाम दर्ज कराया एवं उसके पुत्र उदेराम का फायदा उठाकर पर्व में उसके पति रामचरण की फैती दर्ज कराते समय नाम दर्ज नहीं करवाया तथा उक्त कपट को उदेराम भी नहीं समझ पाया जिसके कारण उदेशम अपने पिता की फौती उपरांत एकमात्र नाम अपनी माता रम्भाबाई का नाम राजस्व रिकार्ड में चढ़ाये जाने का विरोध नहीं किया । इसके अलावा तत्कालीन हल्का पटवारी ने भी दीनदयाल पिता जयराम सिंग से मिलीभगत कर रम्भाबाई के वारिसान के संबंध में बिना किसी जॉच किये बिना ही दीनदयाल के बताये अनुसार रम्भाबाई निःसंतान, रम्भाबाई के पति रामचरण का भाई जयराम सिंग अंकित कर नामांतरण पंजी के माध्यम से नामांतरण कराया गया। जबकि रम्भाबाई का पुत्र उदेराम जीवित रहा है उक्त तथ्य को छिपाकर नामांतरण किया है। यदि ऐसा प्रश्न था तो अधिनस्थ न्यायालय को यह जाँच कराना चाहिए था कि वास्तविक में रम्भाबाई के वारिसरन अपीलार्थीगण है की नहीं और ना ही वारिसान के संबंध अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण से कोई दस्तावेज पेश करने का आदेश दिया। अपील में मात्र निपटाने के उद्देश्य से अपना आदेश पारित कर दिया । अधिनस्थ न्यायालय को गौर करना चाहिए था कि रामचरण पिता भंगी जाति गोंड़ का कृषि खाता अलग था । यदि वास्तविक में दीनदयाल के पिता जयसिंग, रामचरण का छोटा भाई था तो उसके पृथक किये गये कृषि खाता का अवलोकन करना चाहिए था जिससे पता चले कि भंगी के खाता को दोनों भाई रामचरण तथा जयराम सिंग के मध्य बटवारा किया गया है । इस संबंध में दीनदयाल के वारिसानगण भी अपना कोन दस्तावेज पेश करने में असफल रहे है, जिससे यह सिद्ध होता है वास्तविक में उनका परिवार भंगी का परिवार रहा है । इसके अलावा अपीलार्थीगण का परिवार तथा उत्तरवादीगंण का परिवार का गोंड जाति अवश्य है लेकिन दोनों का गोत्र अलग–अलग है. अपीलार्थीगण का परिवार गोड जाति में सबसे उत्तम ध्रुव जाति से सबंध रखता है तथा उत्तरवादीगण का परिवार नेताम जाति से संबंध रखता है. इस प्रकार की भिन्नता ही यह दर्शाने के लिये पर्याप्त है कि दोनों परिवार अलग–अलग है । उपरोक्त सारे तथ्यों को एकत्र किया जाये तो यह निष्कर्ष निकलता है कि अपीलार्थीगण के परदादा रामचरण पिता भगी अकेले संतान थे जिनकी मृत्यु उपरात उनकी पत्नी रम्भाबाई बेवा रामचरण का नाम नामांतरण पजी में जोडा गया । उस समय उत्तरवादीगण के पिता रामदयाल पिता जयराम सिग ने रम्भाबाई की सम्पत्ति हडपने के लिये तत्कालीन हल्का पटवारी तथा पीठासीन अधिकारी से सांठगांठ कर उपरोक्त नामांतरण पंजी में यह जानते हुए कि रम्भाबाई का एकमात्र पुत्र उदेराम जीवित है. उसके बाद भी मात्र रम्भाबाई का नाम खाते में जुडवाया गया । चूंकि दीनदयाल और उसका परिवार उस समय रायपुर निवास करता था इस कारण पढ़े लिखे व्यक्तिगण होने के कारण उस समय उदेराम भी इस षडयंत्र को न भांप सका तथा अकेले अपनी माता रम्भाबाई का नाम खाते में चढ़ा देने पर उसके द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया तथा रम्भाबाई के मृत्यु के पश्चात हल्का पटवारी तथा तत्कालीन पीठासीन अधिकारी, उत्तरवादीगण के द्वारा जयराम सिंग के कहने पर रम्भाबाई के पति रामचरण के साथ उसका छोटा भाई है कहकर अपना नाम जुड़वा लिया तथा रम्भाबाई की समस्त भूमि का मालिक उत्तरवादीगण बन बैठा। इसकी भनक उदेराम को इस कारण नहीं लग पायी कि उक्त नामांतरण पंजी में उक्त संशोधन चोरी छिपे किया गया था इसका उदाहरण है कि प्रश्नाधीन भूमि पर आज से 3 साल पूर्व तक अपीलार्थीगण का कब्जा रहा है। अभी वर्तमानमें प्रश्नाधीन भूमि पड़त रूप में मौजूद है, उत्तरवादीगण ग्राम में कभी निवास नहीं किये प्रारंभ से ही रायपुर में निवास कर रहे है । उसके बाद अपीलार्थीगण वर्तमान में इसी ग्राम तमोरा तहसीव कोमाखान जिला महासमुंद में कृषि मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रहे है। उपरोक्त तथ्यों को अधिनस्थ न्यायालय नहीं समझ सका तथा मात्र अपील निपटारा करने

के उददेश्य से अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज कर दिया गया लेख कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

6/ उत्तरवादी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में उत्तरवादी/अनावेदकगणों के हक एवं स्वामित्व की भूमि /संपप्ति खसरा नंबर क्रमशः 31, 81, 163, 170, 263 रकबा का 2.61, 0.20, 1.66, 0.40, 2.50 हे. कुल खसरा–05, कुल रकबा 7.37 है. जिसका नया ख्सरा –124, 243, 510, 538 है। उक्त भूमि/संपत्ति में उत्तरवादी/अनावेदकगण दाखिल एवं काबिज हो, अपीलार्थी/आवेदक द्वारा झूठे तथ्यों के आधार पर केवल लालच एवं दुर्भावना से ग्रसित होकर उक्त अपील आवेदन पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है जो किसी भी दृष्टि से विधि सम्मत ग्राहय योग्य नहीं होने के कारण प्रथम दृष्टया निरस्त योग्य है। उत्तरवादी/अनावेदकगण ग्राम ओंकारबंद, तहसील–बागबाहरा, जिला महासमुन्द्र में निवास नहीं करने के कारण अपीलार्थी/आवेदकगण लालच एवं दुर्भावना से ग्रसित होकर उक्त भूमि/संपत्ति को अवैधानिक ढंग से हडपने की नियत से उक्त अपील आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जो कि प्रथम दृष्टया निरस्त योग्य है। अपीलार्थी/आवेदकगणों द्वारा बिना किसी विधिक आधार के 42 वर्षों के उपरांत नामांतरण को चुनौती दिया गया है जिसे निम्म न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रथम दृष्टया विधि सम्मत नहीं होने एवं स्वत्व का प्रश्न के आधार पर निरस्त किया है जो कि पूरी तरह विधि सम्मत आदेश है तथा स्थिर रखे जाने योग्य है। उक्त भूमि/संपत्ति राजस्व का वंश–वृक्ष निम्नानुसार हैः रामचरण जाति गोड जयराम सिंह (भाई–भाई) रम्भा बाई (पति) निःसंतान दीनदयाल नेताम (पुत्र) दत्तक पुत्र–सभा बाई स्व. ऋषि कुमार नेताम, गुरुदयाल नेताम, हेमन्त नेताम (पुत्रगण) कला बाई पत्नि दीनदयाल बिन्दु विजयलक्ष्मी दुर्गेश नंदिनी (पुत्रीगण) उक्त भूमि/संपत्ति राजस्व अभिलेख में रामचरण पिता गंभी के विधिक वारिसान होने के कारण वर्तमान में राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी के रूप में उत्तरवादीगणों का नाम दर्ज है तथा उक्त भूमि/संपत्ति का भूमि अधिकार पत्र (ऋण पुस्तिका) भी उत्तरवादीगणों के नाम से बना हुआ है अर्थात् उक्त भूमि/संपत्ति में उत्तरवादीगण भूमि स्वामी के रूप में दाखिल एवं काबिज है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी/आवेदकगणों द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन पत्र किसी भी दृष्टि से विधि सम्मत ग्राह्य योग्य नहीं होने के कारण निरस्त योग्य है। अपीलार्थी/आवेदकगणों द्वारा केवल लालच व दुर्भावना से ग्रसित होकर उक्त अपील आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है केवल उत्तरवादी/अनावेदकगणों को शारीरिक, आर्थिक एवं मानसिक रूप से परेशान एवं प्रताडित करने की नियत से झूठे तथ्यों के आधार पर बिना किसी दस्तावेज के उक्त अपील आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जो किसी भी दृष्टि से विधि सम्मत ग्राह्य योग्य नही होने के कारण निरस्त योग्य है तथा न्यायालय का आदेश विधिसम्मत होने के कारण स्थिर रखे जाने योग्य है। उत्तरवादी/आवेदकगणों का नाम भी अपीलार्थी/अवेदकगणों द्वारा अपने अपील आवेदन पत्र में उल्लेख नहीं किया गया था, उत्तरवादी/अवेदकों को उक्त प्रकरण की जानकारी होने को उपरांत अपनी उपस्थिति देकर विधिक वारिसानों का नाम दर्ज करने हेतु माननीय राजस्व न्यायालय से करने के उपरांत संशोधन कर उत्तरवादी/अभावेदकगणों का नाम दर्ज हुआ है, से स्पष्ट है कि अपीलार्थी/आवेदकगण झूठे तथ्यों के आधार पर केवल लालव व दुर्भावना से ग्रसित होकर उक्त सारहीस अवैधानिक अपील आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जो कि प्रथम द्वष्टया निरस्त योग्य है। अपीलार्थी/आवेदकगणों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र किसी भी दृष्टि से विधि सम्मत, न्याय सम्मत नहीं होने के कारण प्रथम दृष्टया मिरा योग्य हो उत्तरवादी/अनावेदकगण वर्तमान में उक्त भूमि/संपत्ति में दाखिल एवं काबिज है। ऐसी स्थिति में स्वत्व का प्रश्न उत्पन्ना होना निश्चित रूप से विधि सम्मत है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी/आवेदकगणों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में विचार करने की अधिकारी राजस्व न्यायालय की नहीं रह जाती है। ऐसी स्थिति में

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है तथाअपीलार्थी/आवेदकगणों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त योग्य है। न्यायालय न्याय सम्मत, न्यायदान उत्तरवादी/अनावेदकगणों को पक्ष में प्रदान करेंगे लेख कर अपीलार्थी की अपील को निरस्त करने का निवेदन किया है।

7/ मेरे द्वारा प्रकरण,संलग्न दस्तावेज, व तर्क के परिशीलन से स्पष्ट है कि ग्राम ओंकारबंद तह. बागबाहरा जिला महासमुंद स्थित पुराना कुल ख.न.5 कुल रकबा 7.37 हे.नया पुराना ख.न. 5 रकबा 2.16 हे.रामचरण के मृत्यु के उपरांत रम्भाबाई के नाम नामांतरण हुआ.रम्भाबाई बेवा रामचरण निःसतान मृत्यु दिनांक 22.07. 1977 बताकर नामांतरण क्र. 67 आदेश दिनांक 21.04.1978 द्वारा रामचरण के छोटे भाई जयराम सिंग के नाम नामांतरण किया गया। अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी बागबाहरा के आदेश दिनांक 30.07.2021 के परिशीलन द्वारा उनके द्वारा अपीलार्थीगण के रम्भाबाई के वंशज होने संबंधी कोई दस्तावेज पेश नही करने, 42 वर्ष पुराने मामले का स्वत्व क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नही होना लेखकर अपील अस्वीकार किया है। अपीलार्थीगण रम्भाबाई के पुत्र उदेराम, उदेराम के पुत्र गणेश,गणेश के वारीसान वर्तमान अपीलार्थीगण होना तर्क देकर तत्कालीन पटवारी द्वारा दीनदयाल वगैरह से मिलकर तथ्यों को छिपाकर नामांतरण को निरस्त करने तर्क पेश किये है। अपीलार्थीगण द्वारा एक वंशावली जिसमें हल्का पटवारी व सरपंच के हस्ताक्षर है, इस प्रकार है :-

पटवारी द्वारा मौके पर पंचनामा सहित तैयार किया गया वंशावली

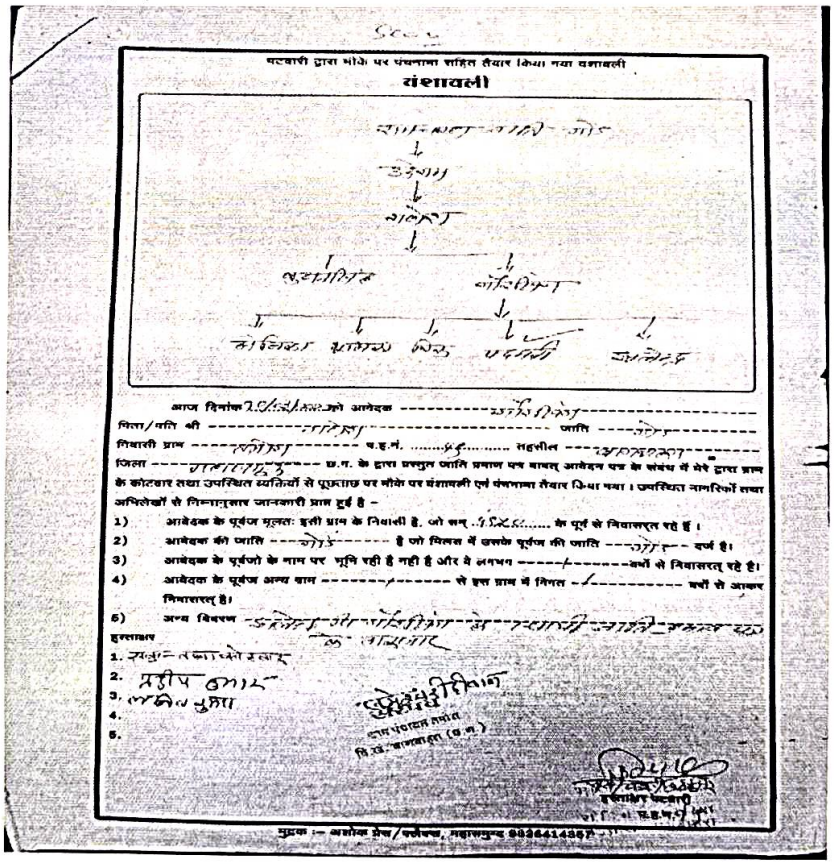

वंशावली

आज दिनांक .... को आवेदक ....

पिता/पति श्री .... जाति ....

निवासी ग्राम .... प.ह.नं. .... तहसील ....

जिला .... छ.ग. के द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र बाबत् आवेदन पत्र के संबंध में मेरे द्वारा ग्राम के कोटवार तथा उपस्थित व्यक्तियों से पूछताछ पर मौके पर वंशावली एवं पंचनामा तैयार किया गया। उपस्थित नागरिकों तथा अभिलेखों से निम्नानुसार जानकारी प्राप्त हुई है -

1) आवेदक के पूर्वज मूलतः इसी ग्राम के निवासी है, जो सन् .... के पूर्व से निवासरत रहे हैं।

2) आवेदक की जाति .... है जो मिसल में उसके पूर्वज की जाति .... दर्ज है।

3) आवेदक के पूर्वजो के नाम पर भूमि रही है नही है और वे लगभग .... वर्षो से निवासरत रहे है।

4) आवेदक के पूर्वज अन्य ग्राम .... से इस ग्राम में विगत .... वर्षो से आकर निवासरत् है।

5) अन्य विवरण ....

हस्ताक्षर

1.

2. प्रदीप

3.

4.

5.

हल्का पटवारी

मुद्रक :- अशोक प्रेस/पर्लेक्स, महासमुन्द 9826414367

उपरोक्त वंशावली से ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थीगण के पास दस्तावेज है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपील अस्वीकार करने में त्रुटि किया जाना पाया गया है। अतः विचारण न्यायालय का नामांतरण आदेश क्र. 67 दिनांक 21.04.1978 एवं अनुविभागीय अधिकारी महासमुंद का आदेश दिनांक 30.07.2021 निरस्त किया जाता है। **संहिता की धारा–49(3) में अपीलीय न्यायालय का साक्ष्य लेने की अतिरिक्त शक्ति प्रदान की गई है परंतु जहां विचारण न्यायालय ने संहिता में बनाये गये नियमो का पालन नही करता है तो अपीलीय न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि प्रकरण में जहां आवश्यक है तथा स्थिति परिस्थिति के अनुसार वह विधि व नियमों का पालन करने हेतु प्रकरण का निराकरण गुणदोष के आधार करने हेतु प्रत्यावर्तित कर सकता है, जिस पर कोई रोक नही है। इस संबंध में माननीय राजस्व मंडल सर्किट कोर्ट रायपुर द्वारा पारित न्यायदृष्टांत छ.ग.रा.ज. 2019(1) पेज नं. 141 अवलोकनीय है।** अतः संहिता की धारा 44(2) के तहत् अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर तहसीलदार बागबाहरा को उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर देकर विधिसम्मत् आदेश हेतु निर्देशित किया जाता है।

आदेश आज **दिनांक 27.01.2026** को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालयीन पदमुद्रा से खुले न्यायालय में पारित एवं उद्घोषित ।

(महादेव कावरे (IAS))
आयुक्त
रायपुर संभाग, रायपुर

पृ0क्र. /आयु./2026 रायपुर दिनांक / /2026

प्रतिलिपि :–

1. न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बागबाहरा जिला महासमुन्द को उनके मूल प्रकरण के साथ आदेश की प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित।
2. न्यायालय तहसीलदार बागबाहरा जिला महासमुन्द को उनके मूल प्रकरण के साथ आदेश की प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित।

आयुक्त
रायपुर संभाग,रायपुर